तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख को जारी हुए।
	किरण कंवर / कल्याण सहाय	
17.10.24	वकील प्रार्थीगण उप.। अप्रार्थीयान की ओर से श्री अरूण गौड़ अधिवक्ता उप.। प्रार्थीगण ने यह प्रा.पत्र इस आशय का पेश किया कि ग्राम अरण्यकला तह. रामगढ़ पचवारा जिला दौसा की आराजी ख.नं. 32 रकबा 36 बीघा 18 बिस्वा भूमि में से 5 बीघा 14 बिस्वा भूमि नवाब सिंह, मान सिंह पुत्र कालूसिंह जाति राजपूत से जरिये Reg बेचान-पत्र दिनांक 16.10.92 को क्रय किया था। जिस पर मकान बना कर रहवास कर रहे है। उक्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि ख.नं. 11 से लगता पूर्व दिशा में क्रय की गयी थी, जिसमें से NH संख्या 148 N, जो दिल्ली बड़ोदरा के निर्माण हेतु ख.नं. 32 में से 12 बीघा भूमि अवाप्त की गई। और अवाप्त की गई भूमि का नम्बर 149/32 दर्ज कर दिया गया और शेष ख.नं. 32 में से बची भूमि को 150/32 रकबा 5.6656 है व 151/32 रकबा 0.6323 है. दर्ज कर दिया गया। ख.नं. 150/32 ख.नं. 149/32 के पश्चिम की तरफ व प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि ख.नं. 11 के पूर्वी तरफ स्थित है तथा ख.नं. 151/32 ख.नं. 149/32 की पूर्वी तरफ है। प्रार्थीगण ने जो भूमि 5 बीघा 14 बिस्वा ख.नं. 32 में से क्रय की थी। जो वर्तमान नम्बरों के अनुसार ख.नं. 11 से लगती पूर्वी तरफ व ख.नं. 149/32 के पश्चिम की तरफ स्थित है, जो वर्तमान में ख.नं. 150/32 में स्थित है। प्रार्थीगण क्रमशः 6)	

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ पचवारा (दौसा)

न्यायालय उपख[ण्ड] ... हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स ...

तारीख हुक्म	किरण कंवर बनाम कल्याण सहाय
	चूंकि वर्तमान ख.नं. 150/32 में है, वह प्रार्थीगण के ख.नं. 11 से लगता है। आराजी ख.नं. 150/32, 151/32 कुल किता 2 कुल रकबा 6.2979 है. में दर्ज सह खातेदार महादेव पुत्र जयनारायण के वारिसों को अप्रार्थी सं. 18 लगा. 24 एवं सह खातेदार मूली देवी के वारिसों को अप्रार्थी सं. 13 लगा. 17 दर्ज कर दिया गया है। तथा अनुतोष चाहा है कि ख.नं. 150/32 में से ख.नं. 11 के पूर्व तरफ का रकबा, ख.नं. 149/50 का पश्चिम की तरफ स्थित ख.नं. 150/32 में से 5 बीघा 14 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण के विभाजन में आई है के कब्जे काश्त में बाधा न डाले तथा मौके व रिकॉर्ड की यथावत स्थिति कायम रखे। प्रा०पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीयान को जरिये नोटिस तलब किया गया। तामील का अवलोकन किया, अप्रार्थी सं. 32 व 33 बाद तामील हाजिर नहीं। अतः इनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही के निर्देश दिए जाते हैं। अप्रार्थी सं. 21 लगा. 24 की तामील अदम प्राप्त हुई है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रकरण आवश्यक प्रकृति का है। बहस सुनी जाए। वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस वही तथ्य दोहराए, जो प्रा०पत्र में दर्ज है। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने जवाब पेश करने से इंकार

[signature] ... अधिकारी

को जारी हुए।

क्रिया तथा मौखिक निवेदन किया कि आराजीयात मुतनाजा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। और हरेक ईंच पर सह खातेदार का कब्जा माना जाता है तथा विधिक दृष्टि से सह खातेदार को बेदखल किया जाना वाद में उचित नही है।

अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रकरण में प्रार्थीगण को निम्न तीन बिन्दु सिद्ध करने होंगे। जिनकी हम निम्न प्रकार विवेचना करते है -

1. प्रथम दृष्टया केस :- प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने जरिये Reg बेचान पत्र 5 बीघा 14 बिस्वा भूमि ख. नं. 32 में से क्रय की जो आज ख. नं. 150/32 में से ख. नं. 11 के पूर्वी तरफ से लगावा व ख. नं. 149/32 के पश्चिम की तरफ वाके है। जो विभाजन में आई है। हमने जमाबंदी का अवलोकन किया तो उक्त ख. नं. 150/32 प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि का होना पाया गया। कोई विभाजन में आना नही पाया गया। ऐसी स्थिति में केस प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होना नही होता।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ पचवारा (दौसा)

न्यायालय ... हुक्म या कार्यवाही ...

तारीख हुक्म	
	2 व 3 सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति :- पूर्व में प्रथम दृष्टया केस प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध नही है। विस्तृत विवेचन में ऊपर वर्णित किया जा चुका है। उक्त विवेचना के अध्यधीन इस सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीयान के पक्ष में सिद्ध नही पाते।
	अत: उक्त तीनो बिन्दु प्रार्थीयान के पक्ष में सिद्ध न होने के कारण हमारे विनम्र अभिमत में प्रा०पत्र स्वीकार योग्य नही है।
	अत: प्रा०पत्र प्रार्थीगण अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील कार्य-पत्र के साथ दाखिल दफ्तर हो।
	(हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी ...गढ़ पचवारा (दौसा)
	पत्रावली पेश ... पीठासीन अधिकारी .... है। गत आदेशों की पालना में दिनांक ... को पेश हो